कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

//निविदा प्रलेख//

नवीन जिला न्यायालय भवन, भोपाल में अनुबंध निष्पादित कराये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए फोटोग्राफी शेड संचालन हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार है :–

01– फोटोग्राफी शेड हेतु रू. 50,000/– (राशि पचास हजार रुपए) की एफ.डी.आर. सुरक्षानिधि के रूप में जिला न्यायाधीश भोपाल के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी।

02– न्यूनतम प्रीमियम राशि (मासिक किराया) राशि रू. 13,500/– प्रति माह निर्धारित किया जाता है जो कि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक एडवांस देय होगा तथा लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में अमानत राशि जब्त कर वसूल की जाएगी तथा ठेका तत्काल निरस्त किया जाएगा।

03– व्यवसायिक प्रतिष्ठान लायसेंस के रूप में विशिष्ट कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दिया जाएगा तथा प्राप्त निविदाओं में से जो सबसे उच्चतर की निविदा होगी उसे मान्य किया जाएगा।

04– विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

05– प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम, भोपाल संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराना आवश्यक होगा।

06– व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नही करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

07– व्यवसायिक प्रतिष्ठान का व्यवसाय न्यायालयीन कार्य दिवस समय में ही किया जाएगा।

08– प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

09– व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेंगे तथा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करता हो।

10– व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

11– व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या आडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

12– आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।

13– दुकान संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर एवं जल कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

14– प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल को यह अधिकार होगा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान को दिए गए लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि ऐसे स्थान को रिक्त करा ले।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा–प्रलेख

नवीन जिला न्यायालय भवन, भोपाल में अनुबंध निष्पादित कराये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए फोटोकॉपी दुकान क्र. 03 संचालन हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार है :–

01– जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित फोटोकॉपी दुकान क्र. 03 हेतु रू. **50,000/–** (राशि पचास हजार रुपए) की एफ.डी.आर. प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल के नाम से सुरक्षा निधि के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त दुकान मासिक किराये पर आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी।

02– प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर **रू. 12,500/–** प्रति माह प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अग्रिम देय होगी तथा निरन्तर तीन माह तक किराया जमा नहीं करने की दशा में सुरक्षा निधि जप्त कर वसूल की जाएगी तथा अनुबंध/ठेका तत्काल निरस्त किया जाएगा।

03– व्यवसायिक प्रतिष्ठान लायसेंस के रूप में विशिष्ट कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दिया जाएगा तथा प्राप्त निविदाओं में से जो सबसे उच्चतर को निविदा होगी उसे मान्य किया जाएगा।

04– निविदा मंजूर होने के पश्चात स्वीकृत निविदाकर्ता द्वारा फोटोकॉपी दुकान कमांक 03 का कार्य ही संचालित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी तरह का कार्य किए जाने पर स्वीकृत निविदा तत्काल निरस्त कर दी जावेगी।

05– विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

06– प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम, भोपाल संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराना आवश्यक होगा।

07– व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक यदि कोई कर्मचारी नियुक्त करते है तो उन्हें श्रम विधियों के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

08– व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

09– व्यवसायिक प्रतिष्ठान का व्यवसाय न्यायालयीन कार्य दिवस समय में ही किया जाएगा।

10– प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

11– व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेंगे तथा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करता हो।

12– व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

13– व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या आडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

14– आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।

15– उक्त दुकान संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर एवं जल कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

16– निविदा की शर्तो संबंधी निविदा प्रलेख मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है।

17– प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल को यह अधिकार होगा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान को दिए गए लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि ऐसे स्थान को रिक्त करा ले।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

//निविदा प्रलेख//

नवीन जिला न्यायालय भवन, भोपाल में अनुबंध निष्पादित कराये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए केंटीन संचालन हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :–

01. निविदाकर्ता द्वारा निविदा आवेदन प्रस्तुत करते समय राशि रूपये 5,000/– की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

02. केंटीन संचालन हेतु सुरक्षा निधि की राशि रूपये 2,00,000/– (दो लाख रूपये) की F.D.R. प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिए अनवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी।

03. प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर रूपये 38,181/–(रूपये अड़तीस हजार एक सौ इकयासी मात्र) या स्वीकृत निविदा के अनुसार प्रतिमाह निर्धारित की गई प्रीमियम राशि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अग्रिम देय होगी, यदि लगातार तीन माह तक प्रीनियम राशि जमा न किए जाने की दशा में अमानत राशि जप्त कर वसूल की जाएगी तथा ठेका तत्काल निरस्त किया जावेगा।

04. निविदाकर्ता द्वारा श्रमिक संबंधी सभी विधियों, नियमों एवं नियमनों का पालन किया जावेगा, जिनका उल्लंघन करने पर निविदाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होगा।

05. प्रतिष्ठान में सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए निविदाकर्ता द्वारा व्यवसायिक कार्य संपादित किया जावेगा। उपेक्षा की दशा में निविदाकर्ता का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होगा।

06. प्रीमियम के भुगतान में लगातार तीन माह तक व्यतिक्रम करने की दशा में सम्पूर्ण धरोहर राशि जप्त की जावेगी।

07. निर्धारित गुणवत्ता का संधारण करना निविदाकर्ता के लिए अनिवार्य होगा अर्थात् एगमार्क व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में वर्णित खाद्य पदार्थो के मानकों के साथ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रयोग की जावेगी।

08. व्यवसायिक प्रतिष्ठान लायसेंस के रूप में विशिष्ट कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दिया जावेगा तथा प्राप्त निविदाओं में से जो उच्चतम की निविदा होगी उसे मान्य किया जाएगा।

09. विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों, अनुभवी/ बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

10. प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम, भोपाल एवं संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक होगा।

11. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

12. व्यवसायिक प्रतिष्ठान का व्यवसाय न्यायालयीन कार्य दिवस समय में ही किया जाएगा।

13. प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिमहोगा।

14. व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना तथा ऐसा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे।

15. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

16. व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगें तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम उपयोग नहीं करेंगे।

17. आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।

18. केंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर एवं जल कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

19. आवंटी का व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालन हेतु आवंटन किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त करने पर आवंटी को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा उक्त स्थान को रिक्त करा लेने का प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल को अधिकार होगा।

20. प्रतिष्ठान पर पान, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला और इस प्रकार की सामग्री का विक्रय नहीं करेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित केंटीन/फोटोकॉपी दुकान क. 03 एवं फोटोग्राफी शेड (अर्जेंट फ़ोटो स्टुडियो) हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तो के संबध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 13–11–2021 को दोपहर 1.00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला न्यायालय, भोपाल में जमा कर सकते हैं। निविदा उक्त दिनांक को सांयकाल 4.00 बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रलेख/आवेदन राशि रूपये 100/– नगद जमा करने पर नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल से दिनांक 26–10–2021 तक कार्यालयीन समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)